

862

15/10/24

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

जोरखराम

vs

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 152 / 2024

-आदेश :-

दिनांक :- 14/10/24

प्रार्थी जोरखराम पुत्र श्री जयधन राम

जाति साईका निवासी हरिआड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम हरिआड़ा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2076 के खाता सं. 184 में दर्ज अशुद्ध नाम जोरखराम पुत्र जयधन राम जाति साईका निवासी हरिआड़ा का शुद्ध नाम जोरखराम पुत्र जयधन राम जाति साईका निवासी हरिआड़ा की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा